

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी श्रीमति सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 205 / 2022

उन्वान

- 1- ख्यालीराम पिता उदा माली निवासी डाबला कचरा 2- मु0 चांदी पत्नी चोथु माली निवासी डाबला कचरा
 - 3- बालु पुत्र उदा माली निवासी डाबला कचरा 4- नारायण पिता भेरु माली निवासी डाबला कचरा
 - 5-6 मु0 राधा, मैना पुत्री भेरु माली निवासी डाबला कचरा 7- मुकेश पिता शंकर माली निवासी डाबला कचरा
 - 8- रामकुमार पिता चोथु माली निवासी डाबला कचरा 9- सतु पिता खाना माली निवासी डाबला कचरा
 - 10- हरिश चन्द्र पिता चोथु माली निवासी डाबला कचरा 11- मोहन पिता रामा माली निवासी डाबला कचरा
- प्रार्थीगण

बनाम

खाना पिता चन्द्रा कुम्हार निवासी कलिंजरी तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

उपस्थिति - श्री अक्षयराज रेबारी

- विपक्षी

अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 05.07.2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षी के प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - प्रार्थीगण के ग्राम **ढाणी भवसागर** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 120 रकबा 0.041 है0, 701/115 रकबा 0.02 है0, 705/116 रकबा 0.01 है0** कुल किता **3 रकबा 0.07 है0** हेक्टेयर के **प्रार्थीगण** काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी पड़ोसी है। **प्रार्थीगण** एवं **विपक्षी** के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आयें दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगद्दी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षी** को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थी सं0 01 एवं अभिभाषक प्रार्थीगण उपस्थित एवं विपक्षी स्वयं उपस्थित हो प्रार्थना पत्र बाबत सहमति से पत्थरगद्दी कराये जाने प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज दिनांक को सीमे से तलब किये जाने से पेश हुई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता एवं **विपक्षी** उपस्थित हो निवेदन किया कि दोनों पक्ष सहमति से अपनी अपनी आराजीयात की पत्थरगद्दी कराना चाहते है। संबंधित सरकारी कर्मचारी द्वारा जो पत्थरगद्दी की जायेगी जिससे दोनों पक्ष सहमत होंगे। अतः आज ही सहमति से पत्थरगद्दी किये जाने के आदेश प्रदान करावे। प्रकरण का एवं अभिभाषक **प्रार्थीगण** एवं **विपक्षी** के प्रार्थना पत्र का तथा प्रस्तुत खाते की नकल जमावन्दी **ग्राम ढाणी भवसागर संवत 2074 से 2077 तक** का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात **प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी** में दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगद्दी कराना चाहते है एवं विपक्षी पत्थरगद्दी कराये जाने से सहमत है। अतः **प्रार्थीगण** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **ढाणी भवसागर** में स्थित **प्रार्थीगण** की उपरोक्त **संयुक्त खातेदारी** की आराजीयात **किता 3 रकबा 0.07 है0** हेक्टेयर की पुख्ता पत्थरगद्दी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगद्दी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगद्दी हेतु कमिश्नर **फीस 500/- रुपये** कायम किये जाते है जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगद्दी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तहसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **05.07.2022** को सरे इजलास सुनाया गया।



प्रतिनिधि - तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् को मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

(सुनिता यादव)

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा